



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800 022

प्रथम अपील वाद संख्या-77 (लो.सू.अ.)/2024-25

श्री अजय कुमार यादव, पी.आई.टी. कॉलोनी, एन 2/36, कंकड़बाग, जिला-पटना, पिन-800 020

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 (1) के अधीन)

क्रम संख्या एवं दिनांक	आदेश	आदेश पर की गयी कार्रवाई के सम्बन्ध में टिप्पणी- दिनांक सहित
02 11.02.25	<p>दिनांक-21.10.24 के आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपीलांत के मूल सूचनावेदन के माध्यम से माँगी गयी सूचना के सम्बन्ध में एक तथ्यात्मक एवं आत्म-भारित प्रतिवेदन इस आदेश की प्राप्ति के पाँच कार्यदिवसों के अन्दर अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाये जिसमें इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि अपीलांत द्वारा माँगी गयी सूचना उन्हें अभी तक उपलब्ध कराई गयी है अथवा नहीं? यदि माँगी गयी सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गयी है, तो अधिनियम की धारा-8,9, 10 एवं 11 के अध्याधीन माँगी गयी सूचना अविलम्ब अपीलांत को स्पीड-पोस्ट द्वारा प्रेषित की जाये।</p> <p>2. इस आदेश के अनुपालन में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना से यदि अपीलांत संतुष्ट नहीं हों, तो वे अगले पाँच कार्यदिवसों के अन्दर वे अपना पक्ष लिखित तौर पर उन कारणों/आधारों का उल्लेख करते हुए प्रेषित करें कि वे किस कारण से/आधार पर लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गयी सूचना से असंतुष्ट हैं और ऐसी</p>	


<p>स्थिति में वे दिनांक--28.02.25 को पूर्वाह्न 01.00 बजे अपने प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित हो सकते हैं।</p> <p>3. अपीलांत के उपस्थित नहीं होने पर यह समझा जायेगा कि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा इस आदेश के अनुपालन में प्रेषित सूचना से अपीलांत संतुष्ट हैं और तदनु रूप अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं गुणागुण के आधार पर प्रस्तुत प्रथम अपील को निर्णीत किया जायेगा।</p> <p>4. सुनवाई हेतु उपस्थित होने की स्थिति में अपीलांत इस आदेश की प्रति तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई विधिमान्य फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र अपने साथ अवश्य लेकर आर्येंगे ताकि राज भवन के स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें राजभवन परिसर स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय-कक्ष में प्रवेश देने हेतु राजभवन के सुरक्षा प्रभारी से अनुरोध किया जा सके।</p> <p style="text-align: right;">ह./- (संजय कुमार मिश्र) अवर सचिव (विधायी)-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी</p>	
--	--

जापांक-77 (लो.सू.अ.)/2024-25- 333 (रा.स.)/पटना,

दिनांक- 13 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि:

1. लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना (पत्र-वितरण पंजी के माध्यम से);
2. श्री अजय कुमार यादव, पी.आई.टी.कॉलोनी, एन 2/36, कंकड़बाग, जिला-पटना, पिन-800 020 (स्पीड-पोस्ट से);
एवं
3. सुरक्षा प्रभारी, राजभवन, बिहार, पटना (पत्र-वितरण पंजी के माध्यम से) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु;
और
4. आई.टी. प्रबंधक, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना (पत्र-वितरण पंजी के माध्यम से) को राज भवन के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


11.02.25
अवर सचिव (विधायी)-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी